रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 284] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 14, 1973/श्रावण 23, 1895

No. 284] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 14, 1973/SRAVANA 23, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY

ORDER

New Delhi, the 10th August, 1973

S.O. 436(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. 555(E), dated the 17th August, 1972 (hereinafter referred to as the said notified Order), the Central Government had declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force to which Messrs. Gresham and Craven of India Private Limited, Calcutta, is a party or which may be applicable to it immediately before the 31st day of March, 1971, shall remain suspended for a period of one year from the date of publication of the said notified Order in the Official Gazette;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said notified Order should be extended by a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18FB of the Industries Development and Regulation Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said notified Order by a further period of one year from the 14th August, 1973.

[No. 2/5/72-HM-III.]

S. M. GHOSH, Jt. Secy.

भारी उद्योग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1973

एस० ओ० 436(अ).—यत: भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० 555 (ङ) तारीख 17 अगस्त, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचित आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने यह घोषणा की थी कि 31 मार्च, 1971 के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का प्रवर्तन, जिनका मैसर्स ग्रेशम एण्ड क्रेवन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता एक पक्षकार है, या जो उसे लागू हों, उक्त अधिसूचित आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा;

और यत: केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त अधिसूचित आदेश की कालावधि का विस्तारण एक और वर्ष की अवधि के लिए होना चाहिए;

अत:, अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ब की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिसूचित आदेश की कालावधि को 14 अगस्त, 1973 से एक और वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित करती है ।

[सं० 2/5/72-एच एम-III]

एस० एम० घोष,
संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973